112

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर
समक्ष एम.के. सिंह
सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 1406/I/2015 विरूद्ध आदेश दिनांक 14.05.2015 पारित द्वारा अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना द्वारा प्रकरण क्रमांक 132/2013-14 अपील

1- हेतसिंह पुत्र श्री प्रभूदयाल
2- अशोक सिंह पुत्र श्री प्रभूदयाल
3- महिला केशोदेवी पत्नी श्री गिरन्द सिंह
4- महिला शान्ती बाई पत्नी श्री प्रभूदयाल
5- योगेश नाबालिग पुत्र श्री गिरन्द सिंह
6- जयराम नाबालिग पुत्र श्री गिरन्द सिंह
सरपरस्त मॉ केशोबाई
निवासीगण - ग्राम गुलाब का पुरा तहसील अम्बाह,
जिला मुरैना (म.प्र.)

-- आवेदकगण

विरूद्ध

1- श्रीमती राजश्री पत्नी श्री पूरन त्यागी
2- श्रीमती नेकवती पत्नी बहादुर सिंह त्यागी
3- सुमन पत्नी श्री निवास त्यागी
निवासीगण- ग्राम फूफ रोड़ अम्बाह, तहसील अम्बाह,
जिला - मुरैना (म.प्र.)

-- अनावेदकगण

श्री एस.के. अवस्थी अभिभाषक आवेदकगण

श्री एस.के.श्रीवास्तव अभिभाषक अनावेदकगण

आदेश

(आज दिनांक 16./05/2016)

यह निगरानी आवेदक द्वारा अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के प्रकरण क्रमांक 132/13–14 अपील में पारित आदेश दिनांक 14.05.2014 के विरूद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता सन् 1959 की धारा 50 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2– प्रकरण का सारांश यह है कि कस्बा अम्बाह में स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 446/1, 673/1 एवं 695/4 के जिसके अभिलिखित भूमि स्वामी आवेदक एवं अनावेदकगण है आवेदकगण द्वारा विवादित भूमियों का बंटवारा किये जाने के संबंध में सहिता की धारा 178 के अन्तर्गत बंटवारा किये जाने हेतु आवेदन पत्र विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था। जो आदेश दिनांक 22.10.2013 से स्वीकार कर बंटवारा आदेश पारित किया जिसके विरूद्ध अनावेदकगण द्वारा प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी अम्बाह के न्यायालय में प्रस्तुत की गयी थी जो आदेश दिनांक 16. 06.2014 से निरस्त कर दी गयी जिसके विरुद्ध अनावेदकगण द्वारा द्वितीय अपील अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के समक्ष प्रस्तुत की गयी थी जो आदेश दिनांक 14. 05.2015 से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी अम्बाह एवं विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश अपास्त किये गये। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गयी हैं।

3– निगरानी मैमो में उठाये गये बिन्दुओं पर उभय पक्ष के अभिभाषको के तर्क सुने तथा आवेदक की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजो एवं अधीनस्थ न्यायालयो के आदेश का अवलोकन किया गया।

4– आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा अपने तर्को में मुख्य रूप से यह आधार दिया है कि उपरोक्त प्रकरण में अधीनस्थ दोनो न्यायालयों के एक मत निष्कर्ष थे जिन्हे निरस्त कर जो आदेश द्वितीय अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित किया गया है वह अपास्त किये जाने योग्य है। अभिभाषक द्वारा अपने तर्को में यह बताया है कि अपर आयुक्त न्यायालय द्वारा अपने आदेश में यह निष्कर्ष दिया है कि बंटवारा प्रकरण में नियमो का पालन नहीं हुआ है जबकि वास्तविकता यह है कि विचारण न्यायालय द्वारा विधिवत् प्रक्रिया का पालन किया जाकर बंटवारा आदेश पारित किया था ऐसी स्थिति में उपरोक्त तथ्य पर विचार किये बिना जो आदेश अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना द्वारा पारित किया गया है। वह विधिवत् नहीं होने से अपास्त कर वर्तमान निगरानी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।

5– अनावेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने तर्को में बताया कि अपर आयुक्त न्यायालय द्वारा जो आदेश पारित किया गया है वह विधिवत् एवं सकारण होने से स्थिर रखे जाने योग्य है एवं बताया कि विचारण न्यायालय द्वारा विवादित भूमियों में से दो सर्वे नम्बरों की भूमियों में बंटवारा किया गया है जबकि विक्रय पत्र के आधार पर उनके द्वारा तीनो सर्वे नम्बरान की भूमि क्रय की थी। ऐसी स्थिति में प्रत्येक सर्वे नम्बरो की भूमियों में बंटवारा किया जाना चाहिये था। ऐसी स्थिति में जो आदेश अपर आयुक्त

न्यायालय द्वारा पारित किया गया है उसे स्थिर रखा जाकर वर्तमान निगरानी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया। 6– उभय पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया गया एवं अभिलेख का अवलोकन किया गया वर्तमान प्रकरण में आवेदकगण की ओर से बंटवारा का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था जिसपर विधिवत् रूप से फर्द बंटवारा तैयार किया था जिसपर अनावेदक की ओर से आपत्ति प्रस्तुत की गयी थी कि प्रस्तुत फर्दे निरस्त कर पुनः नवीन फर्दे बनायी जाये। तथा प्रत्येक सर्वे नम्बरो की भूमि में बंटवारा किया जाकर उन्हे हिस्सा दिया जाये जबकि सहिता की धारा 178 में स्पष्ट प्रावधान है कि भूमि के कम से कम टुकडे किये जाये व हिस्सा व कब्जा के अनुसार बंटवारा किया जाये इसी आधार पर आपत्ति निरस्त की गयी थी इस प्रकार विचारण न्यायालय द्वारा संहिता की धारा 178 की प्रावधान के अनुसार फर्दे बनाई जाकर उभय पक्षों सुनवाई का अवसर प्रदान कर फर्द बंटवारा के अनुसार आदेश पारित किया है उक्त आदेश को प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा विधिवत् रूप से विचार करने के पश्चात् कायम रखा गया है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त आदेशों में हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता ही नहीं थी किन्तु अपर आयुक्त न्यायालय द्वारा अपने आदेश में अधीनस्थ न्यायालयों के समरूप आदेशों को अपास्त किया है जबकि द्वितीय अपीलीय न्यायालय को अधीनस्थ न्यायालयो के समवर्ती निष्कर्षो में हस्तक्षेप करने का कोई विधिक कारण नहीं था। इस संबंध में 1984 आर.एन. 250, 1996 आर.एन 350, 2012 आर.एन. 220, के विपरीत जो आदेश पारित किया गया है वह स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

7– उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना द्वारा प्रकरण

क्रमांक 132/13–14 अपील में पारित आदेश दिनांक 14.05.2014 अपास्त किया जाकर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण क्रमांक 14/2013–14 अपील में पारित आदेश दिनांक 16.06.2014 स्थिर रखे जाने के आदेश दिये जाते है।

(एम.के.सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर